dent, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1971, in respect of 'Capital Outlay of the Department of Atomic Energy'."

Demand No. 136--Capital Outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenue)

"That a sum not exceeding Rs. 14,71,17,000 be granted to the President, on account for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1971, in respect of 'Capital Outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenue)'."

Demand No. 137--Other Capital Outlay of the Department of Communications

"That a sum not exceeding Rs. 30,63,000 be granted to the President on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1971, in respect of Other Capital Outlay of the Department of Communications'."

14.56 hrs.

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL*, 1970

SHRI P. C. SETHI *rose*—

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : देखिये आप तुरन्त खड़े नहीं हुये। फिर स्पीकर को ब्लेम किया जाता है। प्रधान मंत्री ने आप को कहा कि खड़े हो जाइए तब आप खड़े हुये। और इसमें लिखा हुआ है कांस्टीट्यूशन में... (**व्यवधान**)...अध्यक्ष महोदय, यह खड़े देर में क्यों हुये, इसी पर मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। नहीं, उस दिन बड़ा अन्याय हो गया, सारा ब्लेम आप पर डाल दिया गया, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये, मैं आप का बचाव कर रहा हूँ। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वोट आन एकाउंटस की ग्रान्ट्स जैसे मंजूर होती है, तत्काल अप्रोप्रिएशन बिल पेश करने लिये मंत्री महोदय को खड़ा होना चाहिये। अब प्रधान मंत्री वित्त मंत्री हैं, वह स्वयं खड़ी नहीं हुई और सेठी साहब बैठे रहे, प्रधान मंत्री को कहना पड़ा कि खड़े हो जाइये, हमने देखा है, पूरे हाउस ने देखा है। इन लोगों का व्यवहार बड़ा गलत होता है और ख्वामख्वाह आपको ब्लेम किया जाता है। पिछली बार आप को ख्वामख्वाह ब्लेम कर दिया गया।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to 'Provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1970-71.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मोशन मुझे पहले मूव करनी पड़ती है।

Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year, 1970-71."

अब आप कहिये क्या कहना चाहते हैं।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं इस का विरोध करना चाहता हूँ। यह जा रकम है...

MR. SPEAKER : Are you opposing the motion ?

श्री शिवचन्द्र झा : जी हां, मैं अपोज कर रहा हूँ।

MR. SPEAKER : I cannot allow it under the Constitution. The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the

*Published in Gazettee of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 18-3-70.

[Mr. Speaker]

services of a part of the financial year 1970-71."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI : I introduce* the Bill.

15.00 hrs.

I beg to move† :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1970-71 be taken into consideration."

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1970-71. be taken into consideration."

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है मैंने सवेरे लिख कर भी दिया है कि मैं इसका संशोधन करना चाहता हूँ। चूंकि सेकेंड रीडिंग नहीं है इसमें इसलिये मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि कब मैं अपना संशोधन रखूं ?

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर बैनर्जी का भी है, वह पहले बोलेंगे, फिर आप बोलिएगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो चीजों को उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसका जवाब दें। मुझे बहुत दुख: है आज कि जो पैसा यह सदन सरकार के हाथों में देने जा रहा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो इन्टेरिम रिलीफ की बात हम लोगों ने बार-बार की थी, उसके लिये प्राविजन नहीं किया गया है। आपको ख्याल होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब डिवीजन हो रहा था तो एक संशोधन उसमें था जिसमें हम लोगों ने सब ने तकरीबन वोट दिया था और कहा था कि सेंट्रल एम्प्लाईज आज सब से ज्यादा कम तनख्वाह पा रहे हैं पब्लिक सेक्टर और दूसरे संस्थानों को देखते हुए आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज की कम से कम तनख्वाह केवल 140-141 रुपये है जब कि एच० ई० सी० और एच० एल० एल० में उनकी कम से कम तनख्वाह 195 या 200-210 रुपये है। मैं यह समझता हूँ कि ये कमीशन की रिपोर्ट तो जब आयेगी तब आयेगी। अभी पे कमीशनन बैठी नहीं है, और मालूम नहीं उसकी रिपोर्ट कब निकलने जा रही है क्योंकि इस देश की परंपरा कुछ ऐसी है कि पहले कमीशन बैठती है, फिर कमीशन लेटती है और फिर कमीशन सो जाती है और दो साल लगते हैं उसका जगाने में। इसलिये मैं समझता हूं कि इंटेरिम रिलीफ का प्राविजन इसमें होना चाहिये था और प्रधान मंत्री से मैं मांग करता हूं कि वह इस हाउस को वित्त मंत्री की हैसियत से आश्वासन दें कि सेंट्रल एम्प्लाईज के पे कमीशन का जो फैसला होगा वह होगा, लेकिन फौरी तौर से उनको 30-40 या 50 रुपये कम से कम 195 रुपये उनकी तनख्वाह होनी चाहिये, इस हिसाब से 195 और 140 में जितना फर्क है वह चाहे 50 का हो या 55 का हो, इतना इंटेरिम रिलीफ की शकल में उनको दिया जायगा।

दूसरा एक डिस्क्रिमिनेशन दूसरे सरकारी कर्मचारियों के साथ हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब नन्दा जी ने रेल मंत्री की हैसियत से यहां पर यह एलान किया कि रेलवे के वह मुलाजिम जो मैक्सिमम आफ दी ग्रेड पर पहुँच चुके हैं, जो स्टैगनेशन हो रहा है, जिनके सामने कोई भविष्य नजर नहीं आता

*Introduced with the recommendation of the President.

†Moved with the recommendation of the President.

तीन साल या दो साल से जो मैक्सिमम पर राट कर रहे हैं, उनके लिए एक इंक्रीमेंट उन्होंने दिया है हालांकि वह काफी नहीं है। जितने पीरियड का स्टैगनेशन है उसके हिसाब से उन को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनको एक इंक्रीमेंट मिला। ग्राफिसरों को जब कि 250 रुपये मिल रहे हैं, छोटे कर्मचारियों को केवल ढाई ढाई ग्रौर तीन तीन रुपये ज्यादा मिले हैं। लेकिन रेलवे कर्मचारियों को यह मिला है। किन्तु दूसरे सरकारी कर्मचारी जो है उनको नहीं मिला है। 22 लाख सरकारी कर्मचारियों में से ग्रगर 13-14 लाख को यह इंक्रीमेंट मिला है स्टैगनेशन की वजह से तो मेरी समझ में नहीं ग्राता कि 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को यह कंसेशन ग्राखिर क्यों नहीं दिया गया? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया? यह दो चीजें हमारे सामने हैं ग्रौर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों के बारे में कुछ न कुछ ग्राश्वासन वह सदन को दें, चाहे सेठी साहब दें या इंदिरा जी दें। वित्त मंत्री की हैसियत से मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी दें तो ज्यादा ग्रच्छा है।

श्री मधु लिमये : संशोधन तो मेरा बाद में आयेगा, पहले तो मैं इस बिल पर बोल रहा हूँ, इस वक्त कंसिडरेशन की स्टेज है, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बैनर्जी साहब बोले हैं, वैसे ही मैं भी बोलने जा रहा हूँ। दो मुद्दे हैं...

ग्रध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात भी सुन लीजिये ताकि बाद में आप को शिकायत न हो। आपका अमेंडमेंट जो है वह 114 न० की डिमांड जो थी, वह डिमांड पास हो गई, इसलिये उस अमेंडमेंट का तो सवाल नहीं उठता। वह आउट आफ ग्रार्डर है। अभी आप जो कवर करना चाहते हैं वह कर लें, यह मैंने आप को बता दिया।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर दो मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय की मांग सं० 6 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस सदन को पता है कि छात्रों के संघों के निर्माण के बारे में और उनको विश्वविद्यालय के प्रशासन में हिस्सेदारी देने के विषय में मैंने एक विधेयक यहां पर पेश किया था और सर्व-सम्मति से यहां पर प्रस्ताव हुआ था कि उस बिल के सिद्धान्त अच्छे हैं, उस पर राय जानने के लिए उस को परिचालित किया जाय और एक मार्च तक राय आने वाली थी। मुझे पता नहीं कि उस पर राय इकट्ठी भी की गई है या नहीं की गई और मंत्री महोदय ने इस नीति को प्रसारित करने के बारे में क्या क्या कार्यवाहियां की हैं। मैंने यह सुना है कि महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में छात्रों के संघों के निर्माण के बारे में...

श्री तुलशीदास जाधव (जालना) : अध्यक्ष महोदय, यह किस चीज पर बोल रहे हैं?

श्री मधु लिमये : बजट पर बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, नियमों की प्रक्रिया की जानकारी न रखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। कुछ समझते नहीं हैं, दखल देते जा रहे हैं— (व्यवधान)...दादा साहब, प्रधान मंत्री को खुश करने का यह रास्ता नहीं है।

श्री तुलशीदास जाधव : आप वही करते हैं।

श्री मधु लिमये : मैं बिल्कुल प्रक्रिया के अनुसार चलता हूं।

श्री तुलशीदास जाधव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। बजट के ऊपर चार-पांच दिन स्पीच होने के बाद, एप्रोप्रियेशन बिल पर फिर उसी स्पीच की आप परवानगी देते हैं, इसका क्या मतलब है?

श्री मधु लिमये : मैं बजट पर बोला ही नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, इन की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल पर जो पहले से मेहनत करके स्पीकर साहब का लिखते हैं कि मैं इस विषय पर बोलंगा जिसकी चर्चा विवाद में नहीं की गई है, उनके ऊपर बोलने की इजाजत अध्यक्ष महोदय देते हैं तुलशीदास जी जरा इसको समझें।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की मांग के बारे में बोल रहा था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्यों के विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये अब तक उन्होंने क्या क्या कदम उठाये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार महारष्ट्र सरकार ने इस के सिद्धान्त को माना है और महाराष्ट्र के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कानूनों में वे परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह गुजरात सरकार के बारे में भी मैने सुना है। मैंने अपनी जानकारी तो इनके सामने रख दी है, अब वे अपनी जानकारी सदन के सामने रखें, क्योंकि छात्रों के बीच में आज असन्तोष की लहर बढ़ती जा रही है, अगर आप उसको समाप्त करना चाहते हैं तो जरूरी है कि छात्रों के संघ अनिवार्य रूप में बनें, उनको आप लोग मान्यता दें और विश्वविद्यालयों की संस्थाओं में उनको हिस्सेदारी दें।

दूसरा मुद्दा- वित्त मंत्रालय की मांग संख्या 15—कस्टम्ज के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, अब पहले से ही हो-हल्ला शुरू न हो, क्योंकि मैं प्रधान मंत्री को पत्र द्वारा पहले ही नोटिस दे चुका हूं और आपको भी नोटिस दे चुका हूं कि आज मैं यह मामला उठाने वाला हूं। कस्टम्ज के लिये हम अनुदान क्यों देते हैं? इस लिये कि कस्टम वाले सावधानी बरतें और जो भी तस्कर व्यापार इस देश में चलता है उसके ऊपर रोक लगायें। लेकिन फिर भी तस्कर व्यापार क्यों नहीं रूक रहा है--पहला कारण तो यह है कि कस्टम के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मिले हुये रहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि इन पुलिस अधिकारियों और जो भ्रष्ट कस्टम वाले हैं उनके ऊपर बड़े लोगों का वरदहस्त रहता है, जो बड़े लोग राजनीति में हैं उनका आशीर्वाद रहता है।...

एक माननीय सदस्य : कौन-कौन लोग हैं?

श्री मधु लिमये : अभी पूरी सूची तो नही देता हूं, लेकिन 3 आदमियों का जिक्र करता हूं, जिनके बारे में लिख चुका हूं। एक हैं बिहार के गवर्नर श्री नित्यानन्द कानूनगो ...(**व्यवधान**)...नित्यानन्द कानूनगो ने हाजी मिर्जा मस्तान कुली को, जिसको अदन जाने के लिये पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था, तस्कर व्यापार के लिये दुबाई जाना जरूरी होता है, लेकिन इन को पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, नित्यानन्द कानूनगो ने एक पत्र लिखा कि इन के एन्टीसीडेन्ट्स बहुत अच्छे हैं, भले आदमी हैं, इनको पासपोर्ट दिया जाय। मेरे पास इसका सुबूत है। आप जानकारी हासिल करें, अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूं, जो दण्ड आप देंगे उसको भोगने के लिये तैयार हूं।

इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र मंत्री मंडल के एक मंत्री श्री भानु शंकर याज्ञनिक, जो कुछ दिन पहले सिण्डीकेट में थे, लेकिन एक ही दिन में इण्डीकेट में आ गये, इन्होंने भी मस्तान कुली को एक्जेम्पटेड केटेगरी में टेलीफोन देने के बारे में सिफारिश की थी और कहा था कि ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं सिण्डीकेट वालों को कैसे छोड़ सकता हूं। मैं तो एस० के०

पाटिल साहब को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन्होंने कल आप की अनुमति से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया जो कि एक पवित्र प्रक्रिया है और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप करने वाले झूठे हैं और डरपोक भी है। अब मैं विनम्रता के साथ आप से और इस सदन से कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस बात की जानकारी रखते हैं कि पाटिल साहब ने इस बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को एक्जैम्प्टेड कैटेगरी में टेलीफोन दिये जाने के लिये सिफारिश की थी। क्या मंत्री महोदय इन बातों की सफाई देंगे। अगर तत्काल सफाई नहीं दे सकते हैं तो सदन को आश्वासन दें कि 24 घंटे में या 48 घन्टों में या 72 घन्टे में जानकारी हासिल करके सदन को देंगे।

अब, अध्यक्ष महोदय, आप से भी एक नम्रनिवेदन है। हमारे ऊपर यहां आरोप लगाये गये हैं, हमको सारी दुनिया के सामने झूठा साबित करने का प्रयास किया गया है, तो क्या आप हमको मौका देंगे कि किसी संसदीय कमेटी के सामने हम अपनी बातें साबित कर सकें या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय जिन्होंने जार्ज फरनेन्डीज को और हम लोगों को झूठा और डरपोक साबित करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर जो भी आरोप करना चाहते हैं करें, लेकिन हमारे बारे में कोई यह आरोप नहीं कर सकता है कि यह कायर है, यह तो कम से कम आपको कहना होगा।

श्री मनुभाई पटेल (दभोई) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस के बारे में कुछ कहना है। कल यह बात यहां उठाई गई थी—

Though it was expunged, after lunch it was again discussed here. Every member has a right to give his personal explanation. (*Interruptions.*) They have an monopoly of character assassination with the support of certain members. If that is so, it should not go unchallenged.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order, Sir. After taking your permission to speak on the Appropriation Bill, Mr. Madhu Limaye has referred to certain cases. He has referred in his wisdom to three names—a Governor, a Minister and Mr. S.K. Patil, who according to our information, have some hand in smuggling matters. (*Interruptions.*)

अध्यक्ष महोदय : बनर्जी साहब, मैं तो आपको आपकी होश्यारी के सामने नमस्कार करता हूँ।

SHRI P. C. SETHI : At this point of time normally a general discussion is not allowed In this case, it has been allowed and the hon. Members, Shri Banerjee and Shri Madhu Limaye have raised some points.

Coming to Shri Banerjee I would like to say that the question of interim relief to Government employees has been raised here many a time during the question hour and we have replied that this question of interim relief to Government employees will be referred to the Pay Commission and as soon as we hear from the Pay Commission we will take the necessary action. His contention has been that no sum has been provided for that. So far as that point is concerned, I would like to assure him that in case a recommendation of that nature comes from the Pay Commission and Government approves of it, certainly we can always come with a supplementary demand. Therefore, there is no difficulty on that score.

As far as stagnation is concerned, the hon. Member is correct in saying that the Railway Minister have announced certain *ad hoc* increases for those railway employees who were stagnating for a certain period of years. As far as the comparison between the railway and non-railway employees is concerned, it is not quite appropriate. While there may be individual cases of stagnation, by and large, this does not seem to be so pronounced in other departments. However, I would like to add that we will look into this matter and if there is a particular case or particular department where it is so, we will consider it sympathetically.

So far as the points raised by Shri Madhu Limaye are concerned, these are the points which have been raised during the time of

[Shri P. C. Sethi]

the demands. He has not moved any cut motion. As a matter of fact, you have rightly observed that at this stage no cut motion is possible. He has referred to certain letters which he has written to the Prime Minister. One of the letters is quite recent We would certainly go into all the letters and make a thorough inquiry. Here I would like to submit to him, through you, that it is not proper or appropriate to name persons who are not here to defend themselves.

SHRI MADHU LIMAYE : Read rule 353.

SHRI P. C. SETHI : We will certainly look into this matter.

MR. SPEAKER : We have taken quite a lot of time on this, thrice the time allotted by the BAC. I will now put it to the vote The question is :

> "That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : I shall put the clauses.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, हमको सुनने के बाद रूलिंग दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो रेजेक्ट कर दिया है ।

श्री मधु लिमये : अमेंडमेंट को छोड़ दीजिये प्वाइंट आफ आर्डर ही सुन लीजिये बाद में चाहे उसको भी रूल आउट कर दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही कह देते ।

श्री मधु लिमये : आप सुनने के बाद कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि एप्रोप्रिएशन बिल से, जहां पर लिखा है डिमांड 114—एडवांसेज, लोन्स वगैरा के बारे में, उसको आमिट किया जाय । अब आप देखिये कि 114(2) क्या है :

> "No amendment shall be proposed to any such Bill in either House of Parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final."

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सेठी साहब ने यह कहा कि ये हमारे क्राइटीरिया हैं लेकिन उन्होंने जितने क्राइटीरिया बतलाये वे भविष्य के लिये हैं भविष्य में फलां 2 चीजें होंगी तो यह किया जायेगा । तो क्या उस वक्त वह सप्लीमेंट्री डिमांड्स ले कर नहीं आ सकते हैं ? आपने अभी स्वयं अपने बयान में जितनी क्राइटीरिया रखी है, कसौटियां रखी हैं, इसमें कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में पूरी कोशिश होगी । उसके बाद भी अगर क्षति होगी तो वह सब भविष्य की बातें हैं, भविष्य में ये चीजें घटें उसके बाद आप सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आइये । फिर अगर मैं विरोध भी करूंगा तो आपका यहां पर अन्य लोगों की मदद से बहुमत है, मेरी बात कौन सुनेगा । उस समय आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास करा सकते हैं । इसलिये भविष्य में जो चीजें घटने वाली हैं जिनके बारे में उनका आकार क्या होगा, हम नहीं जानते । भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में आप पहले से ही हमारा वोट लें यह अच्छा नहीं है । इस तरह से इस सरकार का जो वित्तीय दायित्व लोक सभा के प्रति है उसके सिद्धान्त को समाप्त किया जा रहा है । इसके बाद भी अगर आपको इसे डिसएलाऊ करना है तो करिये ।

MR. SPEAKER : I am sorry, I have already disallowed it. After I had heard all

about it yesterday, I thought, the same thing would be repeated

The question is :

"That clause 2, 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. C. SETHI : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.22 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE* : BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE, 1970 AND BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL, 1970

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion on the Statutory Resolution regarding disapproval of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance and the connected Bill for which 10 hours have been allotted.

If the House agrees, 5 hours may be allotted to the Statutory Resolution and motion for consideration of the Bill ; 4 hours for clause-by-clause consideration and 1 hour for the Third Reading.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. SPEAKER : So, it is agreed : of course, we will have marginal adjustments.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : Sir, I move the following Resolution :

"This House disapproves of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1970 (Ordinance No. 3 of 1970) promulgated by the President on the 14th February, 1970."

While moving this Resolution I am conscious of the fact that the word "nationalisation has caught the imagination of the people, thanks to the Indian Goebbels, Shri Gujral and his propaganda machinery, though most of them do not understand the real implication of what nationalisation as preached and practised to day by this Government means.

15.24 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

Nationalisation has been made a slogan and it is being treated as a pawn in the political game. It is really unfortunate that socio-economic questions are mixed up and twisted for achieving political objectives.

As such, at the very outset I would like to make it clear that I and my party are not in any way opposed to nationalisation whether in the field of banking or industries provided the same is meant to improve the economic conditions of the toiling masses and to help the growth and development of the nation.

The Bharatiya Jana Sangh's approach to the problem of nationalisation, therefore, is practical and pragmatic and not doctrinaire and dogmatic. Bharatiya culture which is the basic plank of Jana Sangh stands for economic as well as political democracy and is against concentration of both political and economic power whether in the hands of the Government or the private persons. According to it, one can rightfully claim only as much as is sufficient for filling his belly. Whosoever claims more is a thief deserving punishment :

'यावत् भ्रियते जठरं तावत् स्वत्वं ही देहिनाम् ।
अधिकं योऽभि मन्येत सस्तेनो दण्डयोति ॥'

The Atherva Veda enjoins :

'शत हस्ते समाहर, सहस्र हस्त विकीर'

That is, with hundred hands produce, with thousand hands distribute. And I think with these basic principles, Jana Sangh is really a greater and better socialist institution than any other party which claims to speak socialism, breathe socialism and live socialism.